

श्री रवि

फाईल सं० ई-11017/4/2013-हिंदी

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय(वित्त प्रभाग)

हिंदी अनुभाग

कमरा संख्या 130, बी-विंग,
सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 07/01/2014


सेवा में,

रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार मार्ग, पालम,
दिल्ली छावनी - 10

विषय:- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सदस्यता अंशदान/सहयोग राशि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संदर्भ: आपका दिनांक 24.07.2013 एवं 12.11.2013 का पत्र सं० अ.टी.सं. 550181/हि.क./न रा का स 2013

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग से पत्राचार करने पर ज्ञात हुआ है कि न रा.का.स की बैठको पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राजभाषा द्वारा की जाती है । यदि समिति की अन्य गतिविधियों जैसे पत्रिका/प्रकाशन/संगोष्ठी/पुरस्कार समारोह आदि पर व्यय के लिए सदस्य कार्यालयों की सहमति से अंशदान इकठ्ठा किया जाता है तो इसमें राजभाषा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । पत्र की प्रति संलग्न है ।



(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)

सहायक निदेशक (रा०भा०)

दूरभाष: 23013395

120
23/1/14

आवती क्रमांक :- 14

संख्या-12024/07/2013-रा.भा./का-2/17/14

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.॥, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2013

23

सेवा में,


श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी,
सहायक निदेशक (रा0भा0)
रक्षा मंत्रालय (वित्त विभाग),
कमरा सं0 130, बी विंग,
सेना भवन, नई दिल्ली

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 20.11.2013 के पत्र सं0 ई-11017/4/2013-हिन्दी का संदर्भ लें जिसके तहत आपने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अंशदान देने के संबंध में जानकारी मांगी थी।

उल्लेखनीय है कि नराकास की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राजभाषा विभाग द्वारा की जाती है। यदि समिति की अन्य गतिविधियों जैसे पत्रिका प्रकाशन / संगोष्ठी / पुरस्कार समारोह आदि पर व्यय के लिए सदस्य कार्यालयों की सहमति से अंशदान इकट्ठा किया जाता है तो इसमें राजभाषा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,



(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष- 23438129